राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ सत्र

कार्य-सूची

मंगलवार, दिनांक 03 मार्च, 2015

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

वार्षिक प्रतिवेदन

श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का पॉचवा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 सदन की मेज पर रखेंगे ।

3. याचिकाओं का उपस्थापन

श्री कैलाश चौधरी, सदस्य, विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे:-

1- उपखण्ड मुख्यालय बायतू, जिला-बाड़मेर में पुलिस थाने को क्रमोन्नत करने बाबत्;

2- पंचायत समिति मुख्यालय, गिड़ा और पाटोदी, जिला – बाड़मेर में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय खोले जाने बाबत्; एवं

3- पंचायत समिति मुख्यालय पाटोदी, जिला–बाड़मेर में पुलिस थाना खोले जाने बाबत्।

4. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर

श्री जोगाराम पटेल(वि.सं.-67), सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2015 को प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद होगा एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जायेगा:-

> "इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।"

पृथ्वी राज
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 02 मार्च, 2015